न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 114/2019 (Bank Case)

"एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, सामर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025 जर्ये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार नामदेव पुत्र गिरीश कान्त निवासी–गुरू आशीष ग्रेण्ड होटल की गली रामपुरा, कोटा 324006, अन्य पता– प्लॉट नं. 175–ए, संगम बिहार, नयाखेडा, कोटा
2. श्री गिरीश कान्त पुत्र रमेश चन्द निवासी गुरू आशीष ग्रेण्ड होटल की गली, रामपुरा, कोटा 324006

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री सौरभ सुमन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 15.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, सामर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025 से अप्रार्थी सं0 1 ने रूपये 10,21,510/– (अक्षरेः रूपये दस लाख, इक्कीस हजार, पांच सौ दस मात्र) जरिये ऋण अनुबंध सं. PHR0228000740443 दिनांक 10.06.2013 को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 175–ए, संगम बिहार, नयाखेडा, कोटा स्थित है जिसका क्षेत्रफल 605 वर्गफीट है जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 9.5.2013 को श्री राजेन्द्र नामदेव पुत्र श्री गिरीशकान्त के नाम से जारी किया गया है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 09.02.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 4,74,159/– (अक्षरे रूपये चार लाख, चौहत्तर हजार, एक सौ उनसठ रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 08.02.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 09.02.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये,नोटिस प्राप्ति के बावजूद

Scanned by CamScanner

ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 09.02.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 09.02.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 175–ए, संगम बिहार, नयाखेडा, कोटा स्थित है जिसका क्षैत्रफल 605 वर्गफीट है जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 9.5. 2013 को श्री राजेन्द्र नामदेव पुत्र श्री गिरीशकान्त के नाम से जारी किया गया है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner